दिनांक : .०३.२०१९

प्रति,

मा. केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री,
नई देहली.

विषय : बच्चों और युवकों को भ्रमणभाष में सहजता से उपलब्ध होनेवाली विविध पॉर्न साइट और अश्लीलता तथा हिंसक दृश्यों से भरी हुई 'वेब सिरीज' पर त्वरित प्रतिबंध लगाने तथा सार्वजनिक स्थानों पर नि:शुल्क 'इंटरनेट' उपलब्ध करवाने के कारण होनेवाले दुष्परिणाम रोकने के संबंध में...

महोदय,

बच्चे राष्ट्र का भविष्य तथा युवापीढी राष्ट्र का आधारस्तंभ होती है । अपने देश को आदर्श सत्पुरुष और संतो की परंपरा प्राप्त है; परंतु दुर्भाग्यवश अपने देश के बहुसंख्य बच्चों से लेकर युवावर्ग भ्रमणभाष पर अश्लील और अनैतिक जालस्थल की ओर आकर्षित हो रहा है । परिणामस्वरूप बच्चों और युवावर्ग का बहुमूल्य समय व्यर्थ हो रहा है तथा इस कारण देश का भविष्य रसातल को जा रहा है, ऐसी स्थिति दिखाई दे रही है । अभिभावकवर्ग मानसिक तनाव में होकर चिंताग्रस्त बनता जा रहा है । देश के सामने यह एक गंभीर समस्या बनती जा रही है । विगत कुछ वर्षों में बच्चों का यौन शोषण, अवयस्क लडकों द्वारा इस संदर्भ में हो रहे अपराधों में दिन-प्रतिदिन हो रही वृद्धि, यह गंभीर परिणाम युवा पीढी पर दिखाई दे रहा है ।

अ. पॉर्नसाइट और अश्लील जालस्थल : विगत कुछ वर्षों की गंभीर स्थिति को देखते हुए भारत में 'चाइल्ड पोर्नोग्राफी' पर प्रतिबंध लगाया गया है । तब भी अन्य पोर्नसाइट देखना सभी के लिए सहज संभव है । इसलिए केवल 'चाइल्ड पोर्नोग्राफी' पर प्रतिबंध लगाकर समस्या नहीं सुलझेगी । सभी पोर्नसाइट पर प्रतिबंध लगाना अनिवार्य हो गया है ।

अ १. इस संदर्भ में किए गए सर्वेक्षण से जानकारी मिली है कि देश में बढते बलात्कारों की घटनाओं के पीछे अश्लील जालस्थलों का प्रभाव है । मध्यप्रदेश के भूतपूर्व गृहमंत्री भूपेंद्र सिंह यादव ने एक पत्रकार परिषद में जानकारी दी है कि ऐसे २५ जालस्थल बंद कर दिए गए हैं तथा ऐसे सभी जालस्थलों को बंद करने की मांग की गई है । वे यह भी बोले कि बच्चों पर ऐसे जालस्थलों का परिणाम होता है ।

अ २. कर्नाटक में 'रेस्क्यू' नामक स्वयंसेवी संस्था द्वारा किए गए एक सर्वेक्षण में एक धक्कादायक जानकारी उजागर हुई है । इस सर्वेक्षण में कर्नाटक के १८३ महाविद्यालयों के १६ से २१ आयुवर्ग के ३५०० महाविद्यालयीन लडके-लडकियां सम्मिलित हुए थे । इसके निष्कर्ष अत्यंत गंभीर हैं ।

अ २ अ. ६६ प्रतिशत युवक प्रति सप्ताह ७ घंटे तथा ३० प्रतिशत युवतियां प्रति सप्ताह ४ घंटे पॉर्न साइट देखते हैं । धक्कादायक यह है कि इनमें से कुछ ने बताया कि वे ९ वर्ष की आयु से पॉर्न साइट देख रहे हैं ।

अ २ आ. इनमें ३० प्रतिशत युवकों ने कहा कि वे 'वॉयलेंट पॉर्न' देखते हैं, उनमें से सप्ताह में लगभग १९ बलात्कार देखते हैं । प्रतिवर्ष १.७ लाख विद्यार्थी बलात्कार देखना प्रारंभ करते हैं तथा उच्च शिक्षा में प्रवेश पाने तक वे ४९०० बलात्कार देख चुके होते हैं ।

अ २ इ. ८४ प्रतिशत लडके पॉर्न देखना आधुनिकता और व्यसन मानते हैं ।

अ २ ई. ८३ प्रतिशत युवकों ने कहा कि पॉर्न देखकर यौन कृत्य करने हेतु प्रेरित होते हैं तथा ७४ प्रतिशत लडकों ने बताया कि वेश्या के पास जाने हेतु प्रेरित होते हैं । ७६ प्रतिशत युवकों ने कहा कि, बलात्कार देखकर प्रत्यक्ष किसी पर बलात्कार करने की भावना उत्पन्न होती है । उनमें से केवल १० प्रतिशत युवक कृतिप्रवण होते हैं । इससे स्पष्ट होता है कि कर्नाटक में प्रतिवर्ष नए १३००० बलात्कारी पुरुष तैयार हो रहे हैं ।

अ २. 'पोर्नहब' नामक जालस्थल ने अश्लील जालस्थल (पॉर्न साइट) देखने की मात्रा का जागतिक अहवाल घोषित किया है । इस अहवाल के अनुसार वर्ष २०१४ में स्मार्टफोन पर अश्लील जालस्थल (पॉर्न साइट) देखने में देश में महाराष्ट्र ५ वें स्थान पर था; परंतु गत ३ वर्षों में पॉर्न साइट देखने की मात्रा में ७५ प्रतिशत वृद्धि हुई है तथा महाराष्ट्र तीसरे स्थान पर पहुंच गया है ।

अ ३. जागतिक स्तर पर नियमित औसतन ८.५६ मिनट अश्लील जालस्थल देखे जाते हैं । भारत में नियमित ८.२२ मिनट अश्लील जालस्थल देखे जाते हैं । महाराष्ट्र में यह मात्रा ८.३७ मिनट है । इंटरनेट सस्ता हो गया है, वैसे उसके दुष्परिणाम भी सामने आ रहे हैं ।

अ ४. केंद्र सरकार ने बच्चों से संबंधित अश्लील चलचित्र और चित्रफीति तथा अन्य आपत्तिजनक साहित्यवाले ५ हजार जालस्थल जनवरी २०१८ में बंद किए हैं । इसके लिए केंद्र सरकार ने विशेष नीति बनाई थी । ऐसी नीति बनाते समय ऐसे जालस्थलों का प्रसार करनेवालों को कठोर दंड देने की व्यवस्था करने के लिए सूचना-प्रोद्योगिकी कानून में कुछ सुधार किए हैं । सरकार को वेश्या व्यवसाय चलानेवाले जालस्थलों पर प्रतिबंध लगाने के लिए कानून में सुधार करने के प्रयास करने चाहिए ।

आ. वेश्याव्यवसाय चलानेवाले जालस्थल :

आ १. गोवा के तत्कालीन पुलिस महानिरीक्षक जसपाल सिंह गत महीने में बोले थे कि, 'किसी भी पर्यटनस्थल पर मादक पदार्थ, वेश्या व्यवसाय और द्यूत आदि अपराध होते ही रहते हैं; परंतु गोवा पुलिस इस संदर्भ में उत्तम कार्य कर रही है । गोवा पुलिस समय समय पर ऐसे अनैतिक धंधे उजागर कर रही है; परंतु जालस्थलों से चलाया जा रहा वेश्या व्यवसाय उखाड फेंकना कठिन हो रहा है । केंद्रीय सूचना-प्रोद्योगिकी विभाग को पत्र भेजकर ये जालस्थल बंद करने की मांग की गई थी; परंतु इस संबंध में किसी प्रकार के मार्गदर्शक सूत्र नहीं है, यह कहकर वह मांग अस्वीकृत कर दी गई । केवल देश की सुरक्षा के लिए घातक सिद्ध होनेवाले जालस्थल बंद करने की मान्यता है । अन्य जालस्थलों को यह नियम लागू नहीं होता, ऐसा उत्तर सूचना-प्रोद्योगिकी विभाग ने दिया है । इसलिए कानूनी रूप से इन जालस्थलों द्वारा चलाए जा रहे वेश्याव्यवसाय पर लगाम लगाना संभव नहीं है ।' इसका अर्थ यह है कि केवल उस प्रकार का कोई कानून न होने के कारण ऐसी अनैतिक और अवैध बातों पर प्रतिबंध नहीं लगा सकते ।

आ २. तकनीकी ज्ञान विकसित होने के कारण मोबाईल द्वारा वेश्याव्यवसाय करनेवाले जालस्थल सहजता से उपलब्ध हो गए हैं । ऐसी अनैतिक बातें सहजता से उपलब्ध होने के कारण अपराधी क्षेत्र से संबंधित लोगों को इसमें प्रवेश करने का मार्ग खुल रहा है । यह आग अब गोवा, मुंबई, देहली जैसे कुछ शहरों तक सीमित नहीं रह गई है, अपितु अन्य शहरों में भी उसके दुष्परिणाम दिखाई दे रहे हैं । ऑनलाइन वेश्याव्यवसाय के साथ ही मानवी तस्करी (ह्युमन ट्रॅफिकिंग), मादक पदार्थों का विक्रय आदि अपराध भी प्रारंभ हो जाते हैं । इसलिए ऐसी बातों की अनदेखी करना समाजहित की दृष्टि से अक्षम्य होगा ।

आ ३. भारत में पोर्नोग्राफी प्रतिबंधित है, वैसे ही इस प्रकार चलाए जा रहे ऑनलाइन वेश्या व्यवसाय से संबंधित जालस्थल भी बंद कर सकते हैं । इसके लिए राजकीय इच्छाशक्ति की आवश्यकता है ।

आ ४. इन जालस्थलों के कारण बढते हुए विविध अपराध रोकने के लिए उन्हें बंद करना चाहिए । ऐसे 'अश्लील जालस्थल' अर्थात 'पॉर्नसाइट्स' देखकर यौन भावना उत्तेजित होकर बलात्कार की घटनाएं होने के अनेक उदाहरण हैं ।

इ. वेब सिरीज :

इ १. वर्तमान में विदेश की 'नेटफ्लिक्स', 'एमेजॉन' आदि विदेशी तथा अनेक भारतीय प्रतिष्ठानों की ओर से भारत में विविध 'वेब सिरीज' दिखाई जा रही हैं । इन धारावाहिकों में मुख्यतः अश्लीलता और हिंसक दृश्य भरे होते हैं । दुर्भाग्यवश अभी तक ऐसा कोई कानून नहीं है, जिससे इन पर अंकुश लगाया जा सके; परंतु कानून नहीं है, इसलिए इस प्रकार की 'वेब सिरीज' चालू रखने की अनुमति देना स्वैराचारी लोगों को अपराध करने हेतु प्रोत्साहित करने के समान है ।

इ २. संयुक्त कुटुंबपद्धति; संयत काम जीवन; कुटुंब, समाज और राष्ट्र के स्तर पर व्यापक विचार करने जैसी भारतीय संस्कृति के मूल्यों पर भोगवाद, विलासवाद, स्वैराचार, हिंसक वृत्ति आदि द्वारा सीधे आघात किया जा रहा है ।

इ ३. 'नेटफ्लिक्स' पर वर्तमान में 'सेक्स एज्युकेशन' जैसे धारावाहिक दिखाए जा रहे हैं तथा इनमें सभी सीमाएं पार की गई है । मनोरंजन के नाम पर 'नेटफ्लिक्स' पर 'पॉर्न' दिखाया जा रहा है । समलैंगिक संबंधों पर आधारित 'गंदी बात' नामक 'वेब सीरीज' दिखाई जा रही है तथा इसमें भाभी-देवर, महिला नौकर और पति के मध्य अनैतिक संबंध दिखाए जा रहे हैं । 'वेब सीरीज' का परिणाम अब सीधे जनमानस पर दिखाई दे रहा है एवं इसके द्वारा उत्तेजित होकर बलात्कार की घटनाएं होने के अनेक उदाहरण हैं । इसमें दिखाए जा रहे हिंसक दृश्य देखकर कोमल आयु के बालक भी हत्या करने में आगे-पीछे नहीं देखते, यह सामने आ रहा है । ये 'वेब सीरीज' सहजता से जालस्थलों पर देखने के लिए उपलब्ध हैं तथा किशोर आयु के युवकों में इसके प्रति आकर्षण बढ रहा है ।

इ ४. मुंबई उच्च न्यायालय में एक याचिका प्रविष्ट है तथा उस पर वर्तमान में सुनवाई चल रही है । न्यायालय द्वारा नोटिस भेजने पर 'वेब सीरीज' चलानेवाले कुछ प्रतिष्ठानों से उपस्थित रहना नकार कर अनुचित उत्तर देते हुए कहा है कि 'हमें माध्यम स्वातंत्र्य है तथा जालस्थल द्वारा हमें क्या दिखाना चाहिए, इसके लिए सरकार हमें प्रतिबंधित नहीं कर सकती ।' इससे स्पष्ट होता है कि इस 'वेब सीरीज' पर कानून का कोई अंकुश नहीं है ।

ई. सार्वजनिक स्थानों पर निःशुल्क इंटरनेट की उपलब्धता : आजकल अनेक स्थानों पर निःशुल्क इंटरनेट उपलब्ध करवाया जा रहा है । विशेषतः अनेक महाविद्यालय, रेलवे और बस स्थानकों के कार्यक्षेत्र में यह निःशुल्क उपलब्ध करवाया जा रहा है । यह देखने में आया है कि अनेक विद्यार्थी इसका उपयोग शिक्षा के लिए करने के स्थान पर अश्लील जालस्थल देखने के लिए करते हैं । देशभर में 'निःशुल्क वाईफाई सेवा' का सर्वाधिक लाभ बिहार स्थित पटना रेलवे स्थानक के यात्री उठा रहे हैं तथा इसमें पॉर्न साइट सर्च करनेवालों की मात्रा सर्वाधिक पाई गई है । यह 'रेलटेल' के एक अधिकारी ने बताया है. ऐसा समाचार प्रकाशित हुआ था ।

उ. परिणाम : इस सबके परिणाम देखते हुए भारत सरकार के 'नेशनल सेम्पल सर्वे ऑफिस' की ओर से किए गए सर्वेक्षण का निष्कर्ष आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं ।

उ १. शहरी क्षेत्र में युवावर्ग का 'सेक्स' से संबंधित दृष्टिकोण परिवर्तित होता जा रहा है । यहां सेक्स, शारीरिक संबंध सामान्य बात बन गए हैं । शहरी क्षेत्र के गर्भपात के आंकडे देखें तो २० वर्ष से कम आयु की युवतियों की संख्या सर्वाधिक है । छोटी आयु में ही युवक-युवतियां शारीरीक सुख के आकर्षण में पास आ रहे हैं ।

उ २. आकडों के अनुसार ग्रामीण क्षेत्र में गर्भवती होनेवाली स्त्रियों की मात्रा ७७ प्रतिशत तथा शहरी क्षेत्र में ७४ प्रतिशत है । ग्रामीण क्षेत्र में गर्भपात की मात्रा दो प्रतिशत तथा शहर में तीन प्रतिशत है; परंतु शहरी क्षेत्र में बीस वर्ष से कम आयुवर्ग में गर्भपात करने की मात्रा सर्वाधिक १४ प्रतिशत है ।

इस भयावह परिस्थिति को देखते हुए हम मांग कर रहे हैं कि .....

१. देश की महिलाएं और अवयस्क बच्चों पर बढते हुए यौन अत्याचार और बलात्कार रोकने के लिए 'पॉर्न साइट' पर तत्काल प्रतिबंध लगाया जाए ।

२. अनैतिक और अवैध धंधे, द्यूत, मादक पदार्थ, मानवी तस्करी आदि पर प्रतिबंध लगाने के लिए 'ऑनलाइन' वेश्याव्यवसाय चलानेवाले और अन्य अश्लील जालस्थलों पर प्रतिबंध लगाया जाए ।

३. अश्लीलता, अनैतिकता और अपराधी वृत्ति की ओर मुडने के लिए प्रेरित करनेवाली 'वेब सीरीज' बंद की जाए ।

४. सार्वजनिक स्थानों पर निःशुल्क इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध करवाते समय व्यवस्था की जाए कि उनमें 'पॉर्न साइट', अश्लील जालस्थल, ऑनलाइन वेश्याव्यवसाय करनेवाले जालस्थल, अश्लील वेब सीरीज आदि उपलब्ध नहीं हों।

आपका विश्वासपात्र,

हिन्दू जनजागृति समिति के लिए
(संपर्क :)